

## मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)

बईजलास श्री अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 13/2024

दायर तारीख 23.01.2024

अनवान्

राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.....डिक्रीदार

बनाम्

1. कमलेश पुत्र देवीलाल हिस्सा पूर्ण जाति कराड़ निवासी उदपुरियां, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.....मदयूनान

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक : 13 / 11 / 2025

डिक्री दिनांक : 13 / 11 / 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय बहाजरी मिनजानिब मुदई पेंरोकार तहसीलदार बिजौलियां एवं अधिवक्ता प्रतिवादी श्री जगदीश चन्द्र धाकड़ मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुकम दिया है डिक्री जारी की जाती है कि :-

वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर ग्राम उदपुरियां पटवार मण्डल उमाजी का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा स्थित आराजी नम्बर 121 रकबा 0.4613 हैक्टेयर किस्म बंजड़ भूमि से प्रतिवादी कमलेश पुत्र देवीलाल जाति कराड़ निवासी उदपुरियां, तहसील बिजौलियां का नाम हटाया जाकर उक्त भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना-अपना वहन करे। डिक्री मूर्तिब हों।

बसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13 / 11 / 2025 को जारी की गई।



3  
(अजीत सिंह राठौड़)  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियां

लगातार पेज संख्या 02 पर

पृष्ठ संख्या 2

नीज ..... Nil ..... मुबलिंग ..... Nil ..... यावत ..... Nil .....  
खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर ..... Nil ..... फीस दी सालाना आज की तारीख से  
तारीख वसूलयावी तक ..... Nil ..... का अदा करे।

मुद्दे	रुपया	पैसे	मुदायला	रुपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया			स्टाम्प अरजीदया		
स्टाम्प वकीलात नामा			स्टाम्प वकीलात नामा		
स्टाम्प वजह सवूत			स्टाम्प वजह सवूत		
महनताना वकील ( )			महनताना वकील ( )		
खर्चा गावाह			खर्चा गावाह		
फीस कमीशनर			फीस कमीशनर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुनफरिक	मीजान		मुनफरिक	मीजान	



(अजीत/सिंह राठौड़)  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजावियाँ